संख्याः शिक्षा–एच(20)जी–जलपान / 2016
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

उच्चतर हि०प्र०
13 FEB 2024

दिनांकः शिमला–171001 ,2024

निविदा सूचना

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला–1 में कैन्टीन संचालन करने हेतु मोहरबन्द लिफाफे में व्यवसायिक प्रबन्धकों से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है । निविदा –दाता का इस क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है । निविदाएं दिनांक 27.02.2024 को 2.00 बजे अपराहण या इससे पूर्व शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला–1 मे पहुंच जानी चाहिए । निविदाएं उसी दिन 3.00 बजे अपराहन को निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जाएंगी । लिफाफे के उपर निविदाएं कैन्टीन शिक्षा निदशालय 2024–25 अंकित किया जाए । टैंडर के साथ प्रतिभुति राशि मुबलिग 10,000/– रूपये बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो , जमा करवाना अनिवार्य होगा। नियम व शर्ते निदेशालय की वेबसाइटः– www.education.hp.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते है।

उच्चतर हि०प्र०
13 FEB 2024

(डॉ0 अमरजीत कु0 शर्मा)
शिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्याः सम दिनांक शिमला–1 ,2024

1. निदेशक लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि टैन्डर नोटिस का प्रकाशन हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में करने की कृपा करें।
2. अधीक्षक (कम्पयुटर शाखा) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त पत्र को निदेशालय तथा लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश की वेबसाईट पर डाले ।
3. नोटिस बोर्ड शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हि0 प्र0 ।
4. कार्यालय / रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

संख्याः शिक्षा–एच(20)जी–जलपान/2016
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

दिनांकः शिमला–171001 ,2024

निविदा सूचना

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला–1 में कैन्टीन संचालन करने हेतु मोहरबन्द लिफाफे में व्यवसायिक प्रबन्धकों से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है । निविदा –दाता का इस क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है । निविदाएं दिनांक 27.02.24 को 2:00 बजे अपराहण या इससे पूर्व शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला–1 मे पहुंच जानी चाहिए । निविदाएं उसी दिन 3:00 बजे अपराहन को निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा खोली जाएंगी । लिफाफे के उपर निविदाएं कैन्टीन शिक्षा निदशालय 2024–25 अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । टैंडर के साथ प्रतिभुति राशि मुबलिग 10,000/– रूपये बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो , जमा करवाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की निर्धारित दरें निम्नलिखित शर्तों पर आमन्त्रित है।

निविदा भरने की प्रकियाः–

तकनीकी निविदा :– Technical Bid

- तकनीकी निविदा के साथ निविदिदाता द्वारा मु0 10,000/– प्रतिभूति राशि जो कि A/c payee bank draft FDR duly pledged or bank guarantee के रूप मे तैयार करें।
- **कार्य अनुभव प्रमाण पत्रः–** निविदिदाता द्वारा किसी सरकारी कार्यालय व संस्था, बोर्ड, निगम कार्यालय मे कैन्टीन/मैस चलाने का निम्नतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- निविदा मे दी गई शर्तों के अनुपालना हेतु वचन पत्र देगा।

वित्तिय निविदाः– Financial Bid

- विभाग द्वारा निर्धारित वस्तुओं के सामने निविदादाता द्वारा अपनी दरें दी जाएगी।
- वित्तीय निविदा केवल उसी निविदादाता की खोली जाएगी जो कि तकनीकी निविदा मे दी गई शर्तों एवं दस्तावेजों को पूर्ण करता हो।

नियम व शर्तें

1) इस टैन्डर की अवधि मार्च 2024 से मार्च 2025 तक होगी ।

2) कैन्टीन के लिए फर्नीचर इत्यादि विभाग का होगा , उसे सुरक्षित रखना कैन्टीन ठेकेदार का कर्तव्य होगा । यदि इसमें किसी प्रकार की टूट–फूट होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति कैन्टीन ठेकेदार को करनी होगी ।

3) कैन्टीन खोलने का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक होगा । इस समय में परिवर्तन शिक्षा निदेशक के लिखित आदेश से ही होगा ।

4) कैन्टीन के लिए पानी व बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा ।

5) कैन्टीन मे सभी प्रकार की क्राकरी ठेकेदार की होगी व निदेशालय मे सरकारी कार्यक्रम के दौरान न्यूनमम 150 लोगों के जलपान व लंच की क्राकरी होना कैन्टीन ठेकेदार के पास होना अनिवार्य होगा।

6) कैन्टीन ठेकेदार को शिक्षा निदेशक के नाम बिजली व पानी की प्रतिभूति /निष्पादन सुरक्षा राशि राशी अलग से 10,000/– रूपये बैंक ड्राफट/ सावधि जमा रसीद जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो कोषाध्यक्ष के पास जमा करवानी होगी ।

7) कैन्टीन होल्डर को कैन्टीन के परिसर को प्रतिदिन साफ रखना होगा । कैन्टीन में कोई बाहरी व्यक्ति निवास नही करेगाा तथा कैन्टीन कर्मचारी ही कैन्टीन में रात्री ठहराव कर सकेंगे । अनाधिकृत व्यक्ति के कैन्टीन में पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना सूचना दर ठेका रदद कर दिया जाएगा ।

8) कैन्टीन में नशीली वस्तुएं जैसे शराब , सिगरेट , तम्बाकू गुटका इत्यादि रखने पीने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगा ।

9) ठेकेदार प्रतिमास अग्रिम रूप से कैन्टीन किराये की राशि जो कि मुबलिग 2000/– रूपये होगी, प्रशासन के पास जमा करवाएगा ।

10) जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत नही होगी उसे उसकी जमानत राशी का भुगतान निविदा का निर्णय होने के बाद वापिस कर दिया जाएगा ।

11) किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार शिक्षा निदेशक को होगा जिसके लिए कारण बताने की आवश्यकता नही होगी ।

12) सफल निविदिदाता को विभाग की सभी शाखाओं मे जाकर मांग अनुसार सर्विस करनी होगी

13) सफल निविदिदाता को विभाग के साथ विभाग द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालना हेतु अनुबन्ध किया जाएगा। यदि सफल निविदिदाता विभाग/ कर्मचारियों के हित में कार्य नही करेगा तथा खाद्य पदार्थों की गुणवता /वजन/सर्विस ठीक न पाए जाने या अन्य किसी भी शर्त का उल्लघंन करता है तो निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त किया जा सकता है तथा निविदा को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

14) यदि कैन्टीन ठेकेदार द्वारा कैन्टीन को ठीक प्रकार से नियमानुसार चलाता है तो कैन्टीन समिति की अनुशंसा पर टैन्डर की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है ।

15) किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार निदेशालय स्तर पर गठित कैन्टीन संचालन समिति को होगा ।

16) निदेशालय स्तर पर गठित कैन्टीन संचालन समिति के निर्णय के विरूद्व अपील शिक्षा निदेशक को की जा सकेगी तथा शिक्षा निदेशक द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम तथा सभी को मान्य होगा ।

17) किसी भी वाद विवाद का निपटारा शिमला क्षेत्र में पड़ने वाले न्यायालय में ही होगा ।

यदि उपरोक्त दी गई सभी हिदायतें / शर्तें स्वीकार हो तो निविदा देने वाला अपनी निविदा शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश शिमला–1 को दिनांक 27.02.2024... 2.00 बजे तक तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा को अलग–2 लिफाफों मे बंद करने के पश्चात एक बडे लिफाफे मे दोनो लिफाफे डालें, और बडे लिफाफे मे "कैन्टीन निविदा उच्चतर शिक्षा निदेशालय" लिखकर निर्धारित तिथि एवं समय तक निदेशालय मे जमा करवाना सुनिश्चित करें।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश

कम संख्या	वस्तु का नाम	न्युनतम मात्रा	दर
1.	आलु परांठा (अचार)	5 (ईंच)	
2.	गोभी परांठा (अचार)	5 (ईंच	
3.	पनीर परांठा (अचार)	5 (ईंच	
4.	चना बठूरा (अचार)	2 भटूरे 75 ग्रम प्रत्येक,चना–1 कटौरी 200 ग्राम (प्रत्येक शनिवार)	
5.	वैज सेंडविच	70 ग्राम	
6.	खाना पूरा (फुल डाईट)	चावल (बासमती), चपाती, दाल, सब्जी, रायता, स्लाद (प्याज/मूली/खीरा आदि	
7.	खाना आधा	चावल–50 ग्राम– आधी प्लेट, चपाती– 2, सब्जी–100 ग्राम,दाल (1 कटोरी 200 मि.ली.) /कडी/रायता/ स्लाद(प्याज/मूली/खीरा आदि)	
8.	दाल/सब्जी	1 कटोरी 200 मि0ली0 (न्यूनतम)	
9.	चपाती (तवा)	प्रति	
10.	चपाती (तंदूर)	प्रति	
दोपहर खाने का विवरण	**दिन**	**दालें**	**सब्जी**
	सोमवार	राजमाह/माह राजमाह	घीया/फुलगोभी
	मंगलवार	काले चने/दलेमाह,चने	भिन्डी/गाजर मटर
	बुधवार	काले मसुर/मुंग चने	फ्रासबीन/बन्दगोभी
	वीरवार	माह/ अरहर / चने दाल	आलू शिमला मिर्च
	शुक्रवार	रोंगी/कुल्थ/कडी	फुल गोभी/ गाजर मटर /साग
	शनिवार	सफेद चने/मिक्स दाल / काले चने	मौसमी सब्जी
11.	चाय (ग्रीन)	150 मि.ली.	
12.	चाय	150 मि.ली. (70 मि0ली0 दुध न्यूनतम) चाय पत्ती अच्छे ब्रांड जैसे टाटा, रेड लेवल इत्यादि)	
13.	काफी	150 मि.ली. (दूध केवल)	
14.	सूप (मिक्स, टोमेटो)	150 मि.ली.	
15.	शेक (केला व आम)	150 मि.ली.	
16.	पकोड़े	प्रति किलो	
17.	मटर	प्रति किलो	
18.	बेसन	प्रति किलो	
19.	मटठी	प्रति पीस	
20.	जलेबी	प्रति किलो	
21.	ब्रेड पकोड़ा (स्टफ)	70 ग्राम	
22.	समोसा	70 ग्राम	
23.	नमकीन	प्रति किलो	
24.	फ्रुट जुस	प्रति पेकेट	
25.	दही	प्रति कटोरी	
26.	स्पेशल लंच	1. मटर पनीर/शाही पनीर/मटर मशरूम/चीली पनीर 2. सब्जी मौसमी/मिक्स 3. 2 दालें (राजमाह, माह, मखनी,पीली दाल)/या अन्य कोई भी आदेशानुसार 4. चपाती/पूरी/तंदूरी रोटी/ पापड 5. **चावल बासमती** 6. मिष्ठान 7. रायता/दहीं 8. सलाद– मूली, खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर, चूकन्दर,	